प्रकरण संख्या 25/2024 अनवान जूले खान
आदि बनाम गुलाम रसूल आदि अ0धा0
53,88,188,92-ए,209 आरटीएक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

1- जुले खान पत्नी नूर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 80 वर्ष निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ (राज.) ।

2- खादम अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3- रहमत अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 11, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4- नियाज अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

5- कासम अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

6- कालू खांन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

7- बीबी सेना पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी आरीफ खान जाति मुसलमान निवासी चक 5 बीएलडी-बी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ ।

8- गामा बी पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी रहमत अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

..........वादीगण...........

बनाम-

1- गुलाम रसूल पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2- बाग अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान सिख निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)।

3- नूर बानो पुत्र नूर मोहम्मद पत्नी युसूफ अली जाति मुसलमान निवासी नजदीक मदीना मस्जिद, बीकानेर (राज.)।

4- गुलाम अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 3 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर ।

.........प्रतिवादीगण.........

उपस्थिति- 01- श्री प्रवीण चुघ, वकील वादीगण
02- श्री भवनी पंवार, वकील प्रतिवादीगण
03- पैराकार राज, तह[illegible] विजयनगर

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92-ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

राजस्व प्रकरण संख्या - 25/2024 निर्णय दिनांक - [illegible]
(जी.सी.एम.एस.-2024/110)

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 25/2024 अनवान जूले खान आदि बनाम गुलाम रसूल आदि अ०धा० 53,88,188,92-ए,209 आरटीएक्ट

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मुस्लिम विधि से शासित होते हैं तथा सुन्नी साम्प्रदाय से तालूकात रखते हैं। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पति/पिता के नूर मोहम्मद पुत्र नसीरा जाति मुसलमान के नाम से कृषि भूमि वाके चक 3 बीएलएम-ए पटवार हल्का 6 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 02 प. नं. 194/386 में किला न. 1 ता 25 के कुल 6. 3250 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसे आईन्दा विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पति/पिता नूर मोहम्मद की दिनांक 23.01.2021 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न प्रार्थना पत्र है। नूर मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत उक्त विवादित भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 हिस्सेदार की श्रेणी में आते हैं तथा नूर मोहम्मद के विधिक वारिस हैं। ग्राम पंचायत 6 बीएलएम द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र सलंग्न वाद पत्र है। नूर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 मुस्लिम विधि के अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। उक्त विवादित भूमि नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से ही वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा संयुक्त रूप से काश्त की जाकर अपने अपने परिवारों का पालन पोषण किया जा रहा है।

उक्त विवादित भूमि वर्तमान में वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पति/पिता के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान तक वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को विवादित भूमि काश्त करने में किसी तरह की कोई विधिक अथवा अन्य कोई बाधा नहीं आई है परन्तु अब वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के बीच उक्त भूमि के विभाजन को लेकर आपसी विवाद रहने लगा है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 वादीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से महरूम करने के लिये भू माफियाओं के संपर्क में आने लगे हैं और वादीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल करने की फिराक में हैं तथा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की फिराक में हैं।

उक्त विवादित भूमि वादीगण को अपने पति/पिता की मृत्यु के बाद बतौर हिस्सेदार/वारिस प्राप्त हुई है तथा वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ही तरह उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है परन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मन में बेईमानी व लालच आ [illegible] वे भू माफियाओं की सहायता लेकर वादीगण को उनको मुस्लिम विधि [illegible] वाली हक व हिस्सा की भूमि से वंचित करने के लिये जबरन [illegible] बेदखल कर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अन्यत्र हस्तांतरित करने पर आमादा

वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को कई बार विवादित भूमि को मुस्लिम विधि के अनुसार अपने अपने हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विरास्तन

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नामांतरकरण हेतु व किला विभाजन आपसी सहमति के अनुसार करवाने के लिये सहयोग करने हेतु कहा तो प्रारंभतः टालमटोल करते रहे व अन्त में दिनांक 26.05.2024 को वादीगण व मौजिज व्यक्तियों के समक्ष ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गये और ऐलानिया कहने लगे कि वे वादीगण को जबरन भू माफियाओं के सहयोग से उनके हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल कर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से भूमि को अन्यत्र विक्रय कर देंगे और उन्हें उनके हक व हिस्सा की भूमि से महरूम कर देंगे। बस यही मुखास्मत दिनांक वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण प्राप्त हुआ है तथा वादी के समक्ष उक्त वाद पत्र को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है।

वादीगण को विवादित भूमि अपने पति/पिता नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद भूमि का हिस्सेदार होने के कारण विरास्तन प्राप्त हुई है जिसका उपयोग व उपभोग करने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है तथा अपने नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का और किला विभाजन करवाने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है परन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा वादीगण का सहयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि वादीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से महरूम करने के लिये गैर कानूनी कार्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वादीगण को विवादित भूमि अपने पति/पिता नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद भूमि का हिस्सेदार होने के कारण विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिए उक्त कृषि भूमि विरास्तन भूमि की श्रेणी में आती है जिस पर वादीगण का नूर मोहम्मद की मृत्यु के बाद प्रारंभ से ही हक व हिस्सा है जिसका वादीगण स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने व आपसी किला विभाजन के अधिकारी है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 वादीगण को वादीगण के हक व हिस्सा से महरूम व बेकब्जा करने के लिए भूमि को खुर्द बुर्द व अन्तरित करने पर तथा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाने पर आमादा है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी हैं।

प्रतिवादी स. 5 राजस्थान सरकार भू धारक होने के कारण वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार है इसलिए बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पति/पिता नूर मोहम्मद पुत्र नसीरा जाति मुसलमान के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 3 बीएलएम-ए पटवार हल्का 6 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 02 प.नं. 194/386 में किला न. 1 ता 25 के कुल 6.3250 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि का खातेदार टीनेन्ट वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को घोषित किया जाकर मुताबिक डिक्री उक्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 5 को पारित किये जावे।

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के खिलाफ [illegible] आशय की पारित की जावे किं जब तक अनुतोष के पैरा [illegible] में वर्णित भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम से दर्ज [illegible] किला विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक विवादित भूमि [illegible] के किसी भाग को अन्य को रहन विक्रय या अपने हित प्रतिनिधि आदि के मा[illegible] से करने से प्रतिवादीगण बाज व ममनू रहे तथा वादीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल करने से निषेधित रहें।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता अपना जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो हमे काई आपत्ति नही है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीया जूले खां की मृत्यु दिनांक 31.10.2024 हो चुकी है। वादीया जूले खां के वारिसान बतौर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के तौर पर पूर्व में वाद मे संयोजित किये जा चुके है। अन्य कोई वारिस शेष नही है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु सहमति प्रस्तुत करने के कारण तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा वाद पत्र के तथ्यों पर किसी प्रकार कोई एतराज जाहिर नहीं किया है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाधक बिन्दू नहीं होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति भेजकर वादग्रस्त भूमि चक 3 बीएलएम-ए पटवार हल्का 6 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर के मु.नं. 02 प. सं. 194/386 में किला न. 1 ता 25 के कुल 6.3250 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि का कब्जाकाश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मुस्लिम विधि अनुसार मंगवाया जावे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक ...9/12/24... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner